कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा दि0 18-01-2017 को Video Conferencing से की गई बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक 18-01-2017 को समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) / (कारपोरेट सर्किल)/(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर के साथ **Video Conferencing** की गई, जिसमें जोनल/सम्भागीय अधिकारियों द्वारा अपने जिले के एन0आई0सी0 केन्द्रों पर उपस्थित होकर प्रतिभाग किया गया। **सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्न निर्देश दिये गये।**

1. माह जनवरी-17 का सूचित प्रत्याशित संग्रह किसी भी दशा में मान्य नहीं है। राजस्व संग्रह हेतु बकाया वसूली व प्रवर्तन में यथेष्ट कार्य नहीं हुए हैं। प्रत्येक जोन माह जनवरी, 2017 के राजस्व संग्रह **लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति** सुनिश्चित करायें।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0डाय0(संख्या) मु0)

2. **कुल 1803 प्रेषित डिजिटल सिगनेचर** में केवल 168 ही एक्टीवेट हुए हैं। जोन कानपुर व आगरा में एक ही समस्या बताई गई, जिसका निराकरण कर दिया गया है। एक्टीवेशन में कहीं भी कठिनाई नहीं है। यह कार्य प्रत्येक दशा में दि0 20-01-17 तक पूर्ण करायें।
3. **धारा-31 /32 के अवशेष प्रार्थना** पत्रों के निस्तारण में डिजिटल सिग्नेचर से सभी व्यापारियों को ई-तामीला की नोटिस भेजी जाये और नोटिस में नियत दिनॉक के उपरान्त गुण-अवगुण पर निर्णय लिया जाये, ताकि प्रार्थना पत्रों में अवरुद्ध बकाया वसूली योग्य हो सके। धारा-31/32 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण कराकर आनलाईन ही सूचित कर दिया जाये।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह/आई0टी0)मु0)

4. जिन व्यापारियों के **तीन लगातार देय** रिटर्न मासिक / त्रैमासिक प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उन्हें ई-तामीला के माध्यम से नोटिस तामील कराई जाये तथा डीलर्स के बने रहने या न रहने पर निर्णय लिया जाये। इस सम्बन्ध में प्राप्त विवरण में वाराणसी प्रथम/द्वितीय, इटावा में कोई कार्य किया जाना सूचित नहीं है।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण)मु0)

5. **माह जुलाई से लगातार समीक्षा करने के उपरान्त** भी प्रदेश में अभी 131607 कालवाधित **कर निर्धारण वाद लम्बित** हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या गोरखपुर में 13339, अलीगढ़ में 7369, फैजाबाद में 7537, मेरठ में 7806, लखनऊ द्वितीय में 9114, सहारनपुर में 7058, वाराणसी द्वितीय में 919। गौतमबुद्ध नगर में 7545, गाजियाबाद द्वितीय में 8459, गाजियाबाद प्रथम में 8367 हैं। ऐसे जोन में प्रत्येक दशा में अगले दो सप्ताह में असिस्टैन्ट कमिश्नर स्तर तक के वाद निस्तारित करा लिए जायें। वाणिज्य कर अधिकारी के स्तर के वाद **अगले चार सप्ताह में प्रत्येक दशा में** निस्तारित करा लिए जायें। इसके पश्चात् वाद निस्तारण हेतु अवशेष रहने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
6. **ईंट भट्ठा समाधान** में जोन गाजियाबाद-प्रथम/ द्वितीय, आगरा, मेरठ व झॉसी में सम्मिलित भट्ठों की संख्या इकाई में है तथा सहारनपुर, इटावा, कानपुर-प्रथम / द्वितीय, वाराणसी प्रथम, मेरठ का प्रतिशत बहुत ही कम है। **दि0 20-01-17 के नियत दिनॉक** तक गत वर्ष में प्राप्त हुए समाधान के भट्ठों को टेलीफोन से सम्पर्क करके समाधान में लाया जायें तथा देय 30 प्रति0 की राशि जमा कराई जाये अन्यथा माह जनवरी-17 की लक्ष्य पूर्ति में काफी कठिनाई होगी।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(विधि)मु0)

7. **जी0एस0टी0एन0 माईग्रेशन** की समीक्षा में दि0 18-01-17 तक 46 प्रति0 डीलर्स का इनरोलमेण्ट ही हुआ है। जिसमें जोन इलाहाबाद (55.68%), फैजाबाद (55.83), गोरखपुर (55.24), इटावा (51.74), लखनऊ द्वितीय (50.14), वाराणसी द्वितीय (53.42) की खराब स्थिति है। जिन जनपदों में छोटे व्यापारियों या वर्ककान्ट्रेक्स डीलर्स अधिक हैं, वहॉ इनरोल का कार्य धीमा है। **दि0 20-01-17 तक** जी0एस0टी0एन0 द्वारा साईट ओपन रखी गई है। खण्ड के अधिकारी द्वारा अपने अधिक्षेत्र की प्रतिदिन नियमित मॉनीटरिंग करेंगे, ताकि यह कार्य किसी भी दशा में नियत अवधि तक पूर्ण किया जा सके।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(जी0एस0टी0)मु0)

8. **आई0जी0आर0एस0** के मामले जोन गाजियाबाद द्वितीय, लखनऊ द्वितीय, वाराणसी द्वितीय व आगरा में एक माह से काफी पुराने हैं। इन पर आख्या प्राप्त करके अथवा तत्काल अभिलेखों से देखकर उत्तर आनलाईन अपलोड करा दिये जायें, ताकि आई0जी0आर0एस0 की साईट पर लम्बित प्रदर्शित न हो।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(जनसूचना)मु0)

9. **गत बैठक में यह कहा** गया था कि अपील या उच्च न्यायालय के स्तर से स्थगन समाप्त होने पर पत्रावलियों में स्थगन आदेश नहीं लगे है, जिससे उनमें स्टे प्रदर्शित होता है, वसूली की कार्यवाही नहीं होती है। इसमें जोन झॉसी व आगरा में कोई कार्य नहीं हुआ है। इलाहाबाद, वाराणसी-प्रथम/द्वितीय, लखनऊ प्रथम/द्वितीय, मेरठ, गोरखपुर, इटावा में कार्य इकाई में है। इस प्रकार रु0 10.34 करोड़ की का स्थगन वैकेट होने की सूचना परिलक्षित हो रही है। सभी जोन में नोएडा की भॉति समीक्षा करके **पत्रावलियों में स्थगन आदेश लगा** दिये जाये तथा वर्तमान में सभी व्यापारियों के खाते में धनराशि उपलब्ध है, ऐसी बकाया वसूल कराई जाये। सभी जोन इस पर एक सप्ताह में रुचि लेकर कार्यवाही करें तथा **दि0 25-01-17 को राजस्व संग्रह की वार्ता किये जाने पर** प्रगति से अवगत करायें।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0 व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(वाद)मु0)

10. जोन नोएडा द्वारा **नेचुरल गैस की फार्म-डी से की गई बिक्री** के डीलर्स की जोनवार सूची अलग-अलग जोन को भेजी गई हैं। इसकी जॉच कराकर रिपोर्ट नोएडा तथा मुख्यालय को भेजी जाये। इसी प्रकार ज्वाइंट कमिश्नर (आयल सेक्टर) मुख्यालय भी आयल कम्पनियों द्वारा **औद्योगिक इकाईयों को डीजल पर जारी फार्म-डी** के डीलर्स की जोनवार सूची बनाकर सत्यापन करायें।
11. **पान मसाला में सेण्ट्रल इक्साईज की समाधान योजना** से प्राप्त राजस्व की विभाग को प्राप्त वैट की तुलनात्मक समीक्षा की जाये। आवश्यक होने पर सेण्ट्रल इक्साईज से विवरण प्राप्त कर लिये जाये। कोई भी कठिनाई हो तो मुंख्यालय को अवगत कराया जायें।
12. माह दिसम्बर में जिन **ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की जॉच** शेष रह गई है, उसे इस माह में पूर्ण कराई जाये।
13. वर्ष 2014-15 के **वि0अनु0शा0 सन्दर्भित वाद** प्रत्येक दशा में माह फरवरी-17 तक पूर्ण कर लिए जाये।
14. **90 दिन से अधिक पुराने एफ0आर0एन0** जोन झॉसी, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ प्रथम, गाजियाबाद द्वितीय में अधिक संख्या में अवशेष हैं। 60 दिन से अधिक पेण्डिंग रहने पर ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) स्वयं इसको देखे और यदि प्रान्त बाहर से कोई विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित न हो तो इन्हें अगले एक-दो सप्ताह में अवंश्य भिजवा दें।
15. माह दिसम्बर-16 में जिन **विशेष वस्तुओं की बिक्री** समाचार पत्रों या मीडिया चैनलों में प्रकाशित हुई है, उनमें **इलैक्ट्रिकल्स / इलैक्ट्रानिक्स गुडस, मोटर वाहन, महॅगे मोबाईल फोन, बिल्डिंग मैटीरियल** मुख्य हैं। इनकी वास्तविक बिक्री व्यापारियों द्वारा दाखिल रिटर्न में प्रदर्शित कराकर देय कर को जमा कराने का अभियान चलाया जाये। विगत 15 दिन की प्राप्त सूचना के अनुसार ज्वैलर्स की कानपुर प्रथम, वाराणसी प्रथम, आगरा, बरेली व मुरादाबाद में कोई **जॉच** नहीं की गई है। मोबाईल सेट के सम्बन्ध में गाजियाबाद द्वितीय, लखनऊ द्वितीय, सहारनपुर, बरेली व फैजाबाद में कोई जॉच नहीं की गई है। इलैक्ट्रिकल्स / इलैक्ट्रानिक्स गुडस में इलाहाबाद, बरेली व फैजाबाद में कोई जॉच नहीं की गई है। एफ0एम0सी0जी0 में वाराणसी प्रथम, बरेली में कोई जॉच नहीं की गई है। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। सभी जोन्स को डीलर्स की संख्या उपलब्ध कराई जा चुकी है। **न्यूनतम् 10 प्रति0** डीलर्स की जॉच अथवा पूॅछताॅछ अवश्य कर ली जाये और देय धनराशि तत्काल जमा कराते हुए प्रतिदिन का जमा राजस्व सूचित किया जाये।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (कार्य0) / (कार0 सर्किल)अनु0 ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0)

16. **बिल संग्रहण के सन्दर्भ में** बड़े जोन तथा छोटे जोन को क्रमशः 50 तथा 25 बिल प्रति यूनिट, प्रति कार्यदिवस का लक्ष्य दिया गया था। किन्तु जोन झॉसी व मेरठ से माह जनवरी में इकाई में प्रगति है तथा सभी जोन में 10 से 20 के बीच में है, जोन लखनऊ प्रथम व गौतमबुद्ध नगर की प्रगति अच्छी है। प्रत्येक सचल दल इकाई का बिल संग्रह 25 बिल प्रति कार्यदिवस से कम नहीं होना चाहिए।
17. कतिपय् वस्तुओं में विगत माह लागू किये गये **फार्म-21 की जॉच** कर निर्धारण अधिकारी तथा प्रवर्तन इकाईयों से कराई जाये कि उन वस्तुओं में **फार्म-21 से माल** परिवहित हो रहा है या नहीं।
18. **ई-संचरण से आयातित माल** के वार्षिक टर्नओवर की एम0आई0एस0 से खण्डवार डीलर्स की सूची अवरोही क्रम में बनवाकर निर्धारित मौद्रिक सीमा के डीलर्स को सम्बन्धित स्तर के अधिकारी के अधिक्षेत्र में हस्तान्तरण का कार्य **विगत तीन माह से लगातार कहे जाने के उपरान्त पूर्ण नहीं किया गया है।** प्रत्येक ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) दो-दो खण्ड का प्रत्येक कार्यदिवस में निरीक्षण करें और एक सप्ताह में पूर्ण करके इसकी रिपोर्ट दूरभाष पर सूचित करें।
19. **सचल दल इकाईयों में** अपंजीकृत से जमा जमानत में जोन झॉसी, मेरठ, इटावा, वाराणसी द्वितीय में गत वर्ष से कम है। इन जोन में प्रगति अपेक्षित है। रेलमार्ग से जमा जमानत में जोन फैजाबाद व झॉसी के महत्वपूर्ण स्थलों पर गत वर्ष से कम होना उचित नहीं है। टी0डी0एफ0 से जमा जमानत में जोन वाराणसी प्रथम, बरेली में गत वर्ष से कम है और नोएडा में लगभग बराबर है। किसी भी दशा में गत वर्ष से 50 प्रति0 से कम वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(कार्य0 सभी एडी0 कमि0/एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमि0 (कार्य0/वि0अनु0शा0)अनु0 ज्वा0कमि0(सचल दला)मु0)

माह जनवरी-17 के मासिक लक्ष्य रु0 5187.73 करोड़ की प्राप्ति सुनिश्चित करने की अपेक्षा और विश्वास के साथ सधन्यवाद **Video Conferencing** समाप्त की गई।

20/01/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या:एस0एस0-मुख्यालय मासिक बैठक--2016-17/1069/ वाणिज्य कर (संख्या अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक:: 20-01-2017

- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 व ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) व ज्वा0 कमिश्नर (कार्य0)/(कारपो0)/ (वि0अनु0शा0) वाणि0 कर को कार्यवाही हेतु
- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश एवं सभी सम्बन्धित ज्वा0कमि0 को अनुश्रवण हेतु प्रेषित।

20.01.17

(मनोज कुमार तिवारी)
ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।